कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

अग्निशमन केंद्र, रोड़ नं.–1, अशोक नगर, शास्त्री सर्कल के पास उदयपुर (राज.)

Telephone no. - 0294- 2414111 Email id- commudr@gmail.com, firestationudaipur@gmail.com

क्रमांकः– अग्नि /ननिउ/2023–24/ 49 दिनांकः– 01/05/23

(ई–भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या – ई 01/2023–2024

नगर निगम उदयपुर की अग्निशमन शाखा के 22 वाहनों कें दैनन्दिन मरम्मत व संधारण तथा संचालन हेतु वाहन चालक उपलब्ध कराने की दर संविदा हेतु ऑनलाईन बिड आमंत्रित की जाती है, जोब कार्य की अनुमानित लागत 98.03 लाख वार्षिक है। बिड से संबंधित विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। निविदा की प्रारंभ तिथि 02/5/23 तथा अंतिम तिथि 15/05/23 है।

गोविन्द सिंह टांक
महापौर
नगर निगम उदयपुर

वासुदेव मालावत (R.A.S.)
आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

U-B-N :- ____________________

प्रतिलिपिः–

1) प्रबन्ध निदेशक राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन नियमानुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में, प्रकाशित करा कार्यदेश की प्रति E-Mail ID:– firestationudaipur@gmail.com पर प्रषित करावें।
2) नोटिस बोर्ड कार्यलय नगर निगम व नोटिस बोर्ड अग्निशमन शाखा पर चस्पा किया जाए।
3) अधिशाषी अभियंता विघुत शाखा को प्रेषित कर लेख है कि निविदा का प्रकाशन निगम की वेबसाइड पर करवावें।

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

अग्निशमन केंद्र, रोड नं.–1, अशोक नगर, शास्त्री सर्कल के पास उदयपुर (राज.)

Telephone no. - 0294- 2414111 Email id- commudr@gmail.com, firestationudaipur@gmail.com

ई निविदा सं.– अग्नि/......07....../2023–24 दिनांक ...02/5/23... के अन्तर्गत

नगर निगम की अग्निशमन शाखा के 22 वाहनों हेतू चालक एवं दैनन्दिन मरम्मत व संधारण कार्य के जोब वर्क की दर संविदा हेतु ओनलाईन बिड आमंत्रित की जा रही है।

(1) संगठन का नाम – नगर निगम उदयपुर
(2) विभाग – स्वायत्त शासन विभाग
(3) कार्य का नाम – नगर निगम उदयपुर की अग्निशमन शाखा के 22 वाहनो के दैनन्दिन मरम्मत व संधारण तथा संचालन हेतु वाहन चालक उपलब्ध कराने का जोब वर्क। (समयावधि एक वर्ष)
(4) अनुमानित राशि – 98.03 लाख रु. वार्षिक
(5) निविदा प्रपत्र शुल्क – 2000+360 जी.एस.टी. = 2360/– रु.
(6) बोली प्रतिभूति राशि (धरोहर) – अनुमानित लागत का 2% अर्थात 1,96,060/– रु.
(7) निविदा प्रकिया शुल्क 1000/–रु. (M.D.RISL को देय)
(8) निविदा का प्रकार – Single Stage Two Envelop Open Rate Contact Bid
(9) निविदा की राष्ट्रीयता – भारतीय
(10) निविदा हेतु मुद्रा – Indian National Rupees
(11) कार्य का विस्तृत विवरण – संलग्न
(12) निविदा की वैधता अवधि – निविदा खुलने की दिनांक से 90 दिवस

नोट – (1) निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि व निविदा प्रकिया शुल्क की राशि निर्धारित दिनांक व समय तक निगम की वेबसाइट http://www.udaipurumc.org पर **E Tender** मे जाकर Online जमा कराकर प्राप्ति रसीद वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराए जाने वाले दस्तावेजों के साथ अपलोड करनी होगी। Online जमा नहीं कराने पर निविदा प्रपत्र का डी.डी./बी सी आयुक्त नगर निगम उदयपुर के तथा निविदा प्रकिया शुल्क डी.डी. M.D.RISL जयपुर के पक्ष में निर्धारित दिनांक व समय तक जमा कराना होगा।

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

अग्निशमन केंद्र, रोड़ नं.–1, अशोक नगर, शास्त्री सर्कल के पास उदयपुर (राज.)

Telephone no. - 0294- 2414111 Email id- commudr@gmail.com, firestationudaipur@gmail.com

ई निविदा सं.– अग्नि/ 01 /2023–24 दिनांक 02/5/23 के अन्तर्गत

महत्वपूर्ण तिथियॉ :–

क्र. स.	विवरण	दिनांक	समय
1.	sppp Portal पर प्रकाशन	01/05/23	11.00 बजे
2.	E Procurment Portal पर प्रकाशन	02/5/23	11.00 बजे
3.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की प्रारंभ तिथि	02/5/23	—
4.	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	15/5/23	6:55 P.M.
5.	तकनिकी बिड खोलने की तिथि	16/5/23	3:P.M.
6.	वित्तीय बिड खोलने की तिथि – तकनिकी बिड के मूल्यांकन के पश्चात्	—	—
7.	भौतिक रुप से निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रक्रिया शुल्क व धरोहर राशि जमा की अन्तिम तिथि –	16/5/23	2:00 P.M.

नोट –

1) निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वो यथाशीघ्र अपनी निविदा E Procurment Portal पर प्रस्तुत कर दें। वेबसाइट पर होने वाली किसी भी असुविधा से बचने के लिए यह सलाह दी गई है अतः वेबसाइट पर यदि कोई असुविधा होती है तो नगर निगम जिम्मेदार नहीं है तथा इस आधार पर तिथियों मे कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
2) उक्त बिन्दु सं. 7 मे अंकित तिथि व समय के पश्चात प्रस्तुत डी.डी. स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3) तकनिकी बिड मे अर्हता प्राप्त (Responsive) निविदाकारों की ही वित्तिय बिड खोली जाएगी।
4) उक्त निविदा के सबंध में विवरण/स्पष्टीकरण हेतु कृपया निम्नांकित से संपर्क करें:–
   - a. अग्निशमन शाखा (अशोक नगर) – 0294- 2414111
   - b. अग्निशमन अधिकारी – +91 9414758983
   - c. मुख्य अग्निशमन अधिकारी – +91 9024341283

5) निविदा की अनुमानित लागत की गणना 22 विभिन्न प्रकार के अग्निशमन वाहनो के आधार पर की गई है किन्तु स्पष्ट किया जाता है कि यह दर संविदा है तथा ये संख्याए अनुमानित व सांकेतिक है जिन्हे घटाया/बढाया जा सकेगा किन्तु किसी न्युनतम मात्रा की कोई गारण्टी नही दी जा रही है।

6) निविदाकार किसी भी कार्य दिवस में वाहनो का निरीक्षण कर सकते है। निविदाकार के सम्बन्ध में यह माना जाएगा कि उसने निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त कार्य की समस्त परिस्थितियो को देख व समझ लिया है तथा तत्पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत की है। बी.ओ. क्यू. में संवेदक को प्रत्येक वाहन को 8-8-8 घंटे तीन पारियों के आधार पर संचालित व संधारित करने के लिए वाहनवार प्रतिमाह की राशि एक मुश्त दर्ज करनी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई वाहन किसी कारणवश ऑफ रूट हो जाता है तो उस वाहन के लिए दिनो की संख्या के आधार पर आनुपातिक राशि दी जाएगी इसके विपरित नए वाहन आने पर नए वाहन की दर का निर्धारण मॉडल को दृष्टिगत रखते हुए आपसी सहमति से किया जा सकेग या निगम नई निविदा कर सकेगा।

<u>कार्य का विवरण</u>

1. नगर निगम उदयपुर की अग्निशमन शाखा में वर्तमान में अग्निशमन के कार्य हेतु 14 पुराने व 08 नए वाहन है। जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट 'A' व 'B' पर है। संवेदक का दायित्व होगा कि इन वाहनों को समय–समय पर संधारित कर आवश्यकतानुसार मरम्मत करें। वाहनों के संधारण की शर्ते परिशिष्ट 'C' में दी गई है। संवेदक को सलाह दी जाती है कि दरें उद्धत करने से पूर्व समस्त वाहनों का निरीक्षण कर लेंवे। बिड में भाग लेने वाले प्रत्येक संवेदक के लिए माना जाएगा कि उसने वाहनों का निरीक्षण कर लेने के उपरान्त ही दरें उद्धत की है। अतः सफल बिडर इस आधार पर कि उसके द्वारा वाहनों का निरीक्षण नहीं किया जा सका था, कोई विवाद/अनुरोध नही कर सकेगा। वाहनों का निरीक्षण अग्निशमन केंद्र अशोकनगर, चेतक सर्कल, मीराकला मंदिर, पुरोहितों की मादड़ी व सुंदरवास जहां यह वाहन खड़े रहते है पर संवेदक द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जा सकता है। इस हेतु अग्निशमन/मुख्य अग्निशमन अधिकारी जिनके दूरभाष सं. क्रमशः 9414758983, 9024341283 है से सम्पर्क किया जा सकता है।
2. संवेदक इन वाहनों को चलाने हेतु वर्ष पर्यन्त बिना किसी अवकाश के श्रम कानूनों की पूर्ण पालना करते हुए 8-8-8 घंटे तीन पारियों के आधार पर वाहन चालक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। वाहन चालक को जॉब चार्ट व शर्त परिशिष्ट 'D' में दिया गया है।
3. 14 पुराने वाहन परिशिष्ट 'A' मे वर्णित जॉब बेसिस पर है। जिसमें संवेदक द्वारा 8-8-8 घंटे तीन पारियों के आधार पर वाहनवार संधारण तथा वाहन चालक की एकमुश्त मासिक दर देनी होगी। संवेदक उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन चालकों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा। नगर निगम उन वाहन चालकों के नियोजन, घटना/दुर्घटना/मृत्यु या कोई भी अन्य किसी भी विधिक प्रश्न के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
4. 08 नए वाहनो के लिए केवल संचालन हेतु 8-8-8 घंटे तीन पारियों के आधार पर वाहन चालक उपलब्ध कराने होंगे। संधारण कार्य निगम के स्तर पर होगा।

5. संवेदक को वाहन संधारण व वाहन चालक उपलब्ध कराने की दरों को मिलाते हुए सभी करों सहित एकमुश्त वाहनवार उपलब्ध करानी होगी। निगम द्वारा वाहनवार दरों के आधार पर बिड का मुल्यांकन न करके समग्र रूप से 22 वाहनों की प्राप्त दरों के योग के आधार पर किया जाएगा।
6. वाहनों को सदैव चालु हालत में रखा जाना तथा सम्पूर्ण समय वाहन चालक को उपस्थित रखे जाने की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी, जिसे कार्यादेश दिया जाएगा।
7. निविदा एक वर्ष के लिए की जा रही है। दर स्वीकृति पत्र (Letter of Acceptence) जारी होने के एक सप्ताह में सफल बिडर को स्वयं के खर्चे पर स्टाम्प पर अनुबंध करना, कार्य सम्पादन प्रतिभुति जमा करानी होगी तत्पश्चात कार्यादेश जारी किया जाएगा। कार्यादेश जारी होने की तिथि के एक सप्ताह के भीतर सफल बिडर को सम्पूर्ण व्यवस्थाएं करके निविदानुसार कार्य सम्पादित करना होगा अर्थात Mobilization period एक सप्ताह होगा तथा कार्य आरम्भ तिथि कार्यादेश जारी होने के सप्ताह पश्चात से गिनी जाएगी तथा इस तिथि के 365 दिवस पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति तिथि होगी।

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

अग्निशमन केंद्र, रोड़ नं.–1, अशोक नगर, शास्त्री सर्कल के पास उदयपुर (राज.)

Telephone no. - 0294- 2414111

Email id- commudr@gmail.com, firestationudaipur@gmail.com

ई निविदा सं.– अग्नि/...01.../2023–24 दिनांक ...02/5/23... के अन्तर्गत

तकनिकी बिड में योग्यता प्राप्ति हेतु शर्ते :–

1. निविदादाता को वर्णित की गई विधि अनुसार निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसिसग फीस व धरोहर राशि अपलोड करनी होगी। ऑन लाईन राशि जमा नही कराने पर भौतिक रूप से निर्धारित दिनांक व समय तक जमा कराने हेागे।
2. निविदा का प्रत्येक पृष्ठ सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर अपलोड करना होगा एवं निविदादाता के स्वयं के नाम के निम्नांकित दस्तावेजो की स्केन कॉपी स्वप्रमाणित कर अपलोड करनी होगी।
3. पेन कार्ड
4. जी एस टी रजिस्ट्रेशन
5. किसी भी राजकीय/अर्द्धराजकीय व स्थानीय निकाय द्वारा ब्लेक लिस्ट नही किया जाने का शपथ पत्र स्टाम्प पर
6. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन
7. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन
8. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनर शिप एक्ट 1932 के अर्न्तगत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन
9. टर्न ओवर सर्टिफिकेट जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा यूडीआइएन के साथ जारी किया गया हो। वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 व 2021–22 का औसत टर्नओवर बिड की अनुमानित लागत का 33.33% अर्थात 32.67 लाख न्युनतम होना चाहिये।
10. निविदादाता के पास विगत पाँच वर्षो (2017–18 से 2021–22) की अवधि में किसी भी राजकीय/अर्द्धराजकीय/सार्वजनिक क्षैत्रक उपक्रम (PSU)/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बिड में दर्शाए वाहनो की संख्या के 1/3 भाग अर्थात न्युनतम 07 वाहनो के संधारण का निरन्तर 12 माह का अनुभव होना आवश्यक है। इसी प्रकार वाहन चालकों की संख्या 66 अनुमानित मानते हुए का 1/3 भाग अर्थात 22 कुशल/अर्द्धकुशल या अकुशल श्रमिक की आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र जो राजकीय/अर्द्धराजकीय/सार्वजनिक क्षैत्रक उपक्रम (PSU)/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में आपूर्ति करने का न्यूनतम 12 माह का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र के समर्थन में कार्यादेश की प्रति भी अपलोड की जावे। उक्तानुसार दोनो अनुभव प्रमाण पत्र की कुल न्युनतम राशि निविदा की राशि का 1/3 भाग अर्थात 32.67 लाख रू. का अपलोड करना आवश्यक है।
11. संवेदक अपलोड किये जाने वाले समस्त दस्तावेजो को जो इस बिड से सम्बन्धित है को ही पृष्ट संख्या अंकित करते हुए अपलोड करे तथा तकनिकी मापदण्ड की चैक लिस्ट के कॉलम सं. 06 में पृष्ठ संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करे। कृपया बिड से असम्बंधित दस्तावेज अपलोड नही करे।

यदि कोई दस्तावेज अपलोड नही किये जाते है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी बिडर की होगी तथा वांछित व पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न करने वाले बिडर को अप्रत्युत्तरदायी (Non Responsive) घोषित करके उसकी वित्तीय बिड नही खोलने का निर्णय निगम द्वारा लिया जा सकेगा।

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

अग्निशमन केंद्र, रोड़ नं.–1, अशोक नगर, शास्त्री सर्कल के पास उदयपुर (राज.)

Telephone no. - 0294- 2414111 Email id- commudr@gmail.com, firestationudaipur@gmail.com

ई निविदा सं.– अग्नि/01/2023–24 दिनांक 02/5/23 के अन्तर्गत

(तकनिकी मापदण्ड की चैक लिस्ट)

- कॉलम सं. 06 पर पृष्ठ संख्या क्रमानुसार अंकित करते हुए दस्तावेज अपलोड किये जावे, केवल निम्नांकित वांछित दस्तावेज ही संलग्न करे। अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नही किये जाए।

क्र. स.	विवरण	रजि.सं. /क्रमांक	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	पृष्ठ क्रमांक	वि.वि.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	a) निविदा शुल्क पात्रता की शर्त सं. 1 के अनुसार					
	b) M.D.R.I.S.L फीस पात्रता की शर्त सं. 1 के अनुसार					
	c) बोली प्रतिभूति पात्रता की शर्त सं. 1 के अनुसार					
2.	निविदा का प्रत्येक पृष्ठ सहमति स्वरूप हस्ताक्षरित पात्रता की शर्त सं. 2 के अनुसार					
3.	आयकर (पेन.न.) पात्रता की शर्त सं. 3 के अनुसार					
4.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) पात्रता की शर्त सं. 4 के अनुसार					
5.	किसी भी राजकीय/अर्द्धराजकीय व स्थानीय निकाय द्वारा ब्लेक लिस्ट नही किया जाने का शपथ पत्र स्टाम्प पर पात्रता की शर्त सं. 5 के अनुसार					
6.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम ,1952 पात्रता की शर्त सं. 6 के अनुसार					
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 पात्रता की शर्त सं. 7 के अनुसार					
8.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अर्न्तगत या इण्यिन कम्पनी एक्ट 1956 के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन					
9.	टर्न ओवर प्रमाण पत्र पात्रता की शर्त सं. 9 के अनुसार					
10.	अनुभव प्रमाण पत्र पात्रता की शर्त सं. 10 के अनुसार					

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

अग्निशमन केंद्र, रोड नं.–1, अशोक नगर, शास्त्री सर्कल के पास उदयपुर (राज.)

Telephone no. - 0294- 2414111 Email id- commudr@gmail.com, firestationudaipur@gmail.com

ई निविदा सं.– अग्नि/......01....../2023–24 दिनांक ......2/5/23...... के अन्तर्गत

नगर निगम अग्निशमन शाखा के पुराने 14 वाहनों की सूचीः–

क.सं.	वाहन का मेक	वाहन संख्या	मॉडल	अग्निशमन केंद्र
1.	महिन्द्रा	RJ 27 EA 3647	2015	अशोकनगर
2.	महिन्द्रा	RJ 27 EA 3648	2015	अशोकनगर
3.	लिलेण्ड 1616	RJ 27 EA 2924	2010	अशोकनगर
4.	टाटा 2515 टी.सी.	RJ 27 EA 1232	2007	अशोकनगर
5.	टाटा 407	RJ 27 GD 3447	1997	चेतक सर्कल
6.	लिलेण्ड शॉट चैसिस	RJ 27 EA 2891	1991	मीराकला मंदिर
7.	टाटा 709 टी.सी.	RJ 27 EA 1567	2008	सुन्दरवास
8.	रेस्क्यु टाटा फायर	RJ 27 EA 3292	2013	पुरोहितों की मादड़ी
9.	टाटा 709 टी.सी.	RJ 27 EA 1566	2008	पुरोहितों की मादड़ी
10.	लिलेण्ड 1616	RJ 27 EA 2923	2010	पुरोहितों की मादड़ी
11.	लिलेण्ड शॉट चैसिस	RJ 27 EA 2890	1991	पुरोहितों की मादड़ी
12.	लिलेण्ड कॉमेट	RJ 27 EA 2517	1989	पुरोहितों की मादड़ी

13.	टाटा 1613 टी.सी.	RJ 27 EA 1233	2007	पुरोहितों की मादड़ी
14.	टाटा 1613 टी.सी.	RJ 27 GD 3446	2000	पुरोहितों की मादड़ी

परिशिष्ठ–ए

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

अग्निशमन केंद्र, रोड़ नं.–1, अशोक नगर, शास्त्री सर्कल के पास उदयपुर (राज.)

Telephone no. - 0294- 2414111 Email id- commudr@gmail.com, firestationudaipur@gmail.com

ई निविदा सं.– अग्नि/ 01 /2023–24 दिनांक 21.8.23 के अन्तर्गत

परिशिष्ठ–बी

नगर निगम अग्निशमन शाखा के 08 नए वाहनों की सूचीः–

क. सं.	वाहन का मेक	वाहन संख्या	मॉडल	अग्निशमन केंद्र
1.	टाटा 1112	RJ 14 GP 4485	2022	अशोक नगर
2.	टाटा 1112	RJ 14 GP 4478	2022	चेतक सर्कल
3.	टाटा 912	RJ 14 GP 4497	2022	मीराकला मंदिर
4.	टाटा 1112	RJ 14 GP 4476	2022	पुरोहितों की मादड़ी
5.	टाटा 912	RJ 14 GP 4492	2022	पुरोहितों की मादड़ी
6.	टाटा 712	RJ 27 GE 1354	2022	पुरोहितों की मादड़ी
7.	लीलेण्ड 1920 एच जी	RJ 27 GE 1355	2022	पुरोहितों की मादड़ी
8.	लीलेण्ड 1920 एच जी	RJ 27 GE 1356	2022	पुरोहितों की मादड़ी

1. संवेदक कृपया सभी 22 वाहनों का भली–भांति निरीक्षण कर लें तथा अग्निशमन केंद्र व निगम की गैराज शाखा का भी निरीक्षण कर लें। निविदा उपरान्त वाहन जहां है जैसा है के आधार पर संवेदक को संधारित करने होंगे तथा इन्हें चलाने के लिए 8-8-8 घंटे तीन पारियों के आधार पर बिना किसी अवकाश के वर्ष पर्यन्त वाहन चालक संबंधित वाहन के लिए उपलब्ध कराने होंगे।

2. वाहनों के निरीक्षण हेतु किसी भी कार्य दिवस पर नगर निगम की अग्निशमन शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है। दूरभाष संख्या निम्नानुसार है:—
(ए) श्री शिवराम मीणा अग्निशमन अधिकारी 9414758983
(बी) श्री गौतम लाल मुख्य अग्निशमन अधिकारी 9024341283
(सी) लेण्डलाइन नं 0294—2414111

परिशिष्ठ—सी

नगर निगम की अग्निशमन शाखा के 22 अग्निशमन वाहनो के संचालन तथा दैनन्दिन मरम्मत संधारण की नियम एवं शर्ते :—

1. वाहनों और मशीनों के संधारण एवं संचालन में काम में आने वाले औजार बीडर को उपलब्ध कराने होंगे।
2. वाहन के खराब होने की दशा में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी एवं अधिशाषी (यांत्रिक) द्वारा निर्धारित समय में मरमस्त का कार्य पूर्ण करना होगा मरम्मत हेतु समय का निर्धारण संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसके लिये बीडर बाध्य होगा।
3. वाहनों का रख—रखाव वाहन निर्माण कम्पनी के मेन्टीनेन्स शिड्यूल के अनुसार करना होगा। वाहनों, मशीनों का यथोचित रख—रखाव नहीं करने, मशीनों का गलत/असावधानी/अनियमित रख—रखरखाव करने अथवा कलपूर्जों की गलत फिटींग के कारण वाहन/मशीनों को हुए नुकसान की राशि बीडर से वसूल की जायेगी। इस संबंध में अग्निशमन/मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता यांत्रिक का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
4. वाहनों एवं मशीनों के संधारण एवं संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये सभी स्टॉफ कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना आकस्मिक हानियों अथवा नुकसान के लिए बीडर का ही उत्तरदायित्व रहेगा। बीडर के किसी भी वाहन दुर्घटना के लिए नगर निगम उदयपुर उत्तरदायी नहीं रहेगी। इस हेतु बीडर अपने स्तर पर अपने कामगारों का आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने को बाध्य होगा।
5. मेन्टेनेन्स मे हुड पोचिस कार्य, जनरल बॉडी रिपेयरिंग का कार्य निगम का रहेगा। सामान्य बॉडी कार्य संवेदक का रहेंगा।
6. मेन्टेनेन्स में लगाये जाने वाले पार्ट्स निगम अपने स्तर पर क्रय करके देगी।
7. मेन्टेनेन्स में सिर्फ मेन्युअल लेबर मेकेनिक कार्य ही रहेगा। जिसमें ऑयल बदलना, व्हील सर्विस करना, गेयर सर्विसिंग लेबर, इंजन उतारना व चढाना, इंजन बांधना व फिटींग करना (इंजन—ऑवर ऑयलिंग) रेडियेटर व वाटर बॉडी रिपेयरिंग ब्रेक व क्लच कीट, क्लच प्लेट डालना, शाफ्टों का डिफरेन्सील कबानी, डिजल पम्प का कार्य, टायर पिन्चर निकालना व इलेक्ट्रीक कार्य, फायर पम्प, मॉनीटर, होजरील, फायर पी.टी.ओ. आदि रिपेयरिंग एवं पानी टंकी रिपेयरिंग समस्त कार्य बीडर को कराना होगा। (किसी भी बडे पार्ट्स को उतारने व चढाने हेतु क्रेन का किराया भी बीडर का होगा।)
8. निगम उदयपुर के म्युनिसिपल्टी एक्ट के विशेषाधिकार के तहत नगर के नागरिको को आग लगने पर फायर सेवाओ के तहत अग्नि सुरक्षा के लिए दिये गये फायर सेवा वाहनों का संचालन संधारण कार्य के तहत सभी वाहनों का तकनीकि खराबी होने पर समय पर लिखित में तुरन्त अग्निशमन अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता यांत्रिक को चालक द्वारा सुचित किया जाना अनिवार्य होगा ताकि समय पर जरूरत वाले पार्ट्स का निगम द्वारा उपलब्ध करा तकनीकि खराबी का निस्तारण बीडर द्वारा समय पर कराया जा सके।
9. वाहन का संधारण नगर निगम के गैराज/अग्निशमन केन्द्र, में ही करना होगा एवं फील्ड में कार्य के दौरान अगर वाहन खराब हो जाता है यानि ऑन रोड़ पर बीडर को मौके पर जाकर अधिशाषी

अभियन्ता यांत्रिक/सहा. अभियन्ता यांत्रिक/मेकेनिक या फीटर के निर्देशानुसार कार्य कर वाहन कम्पलीट करना होगा।

10. प्रत्येक वाहन का माह में एक बार सर्विसिंग व समय–समय पर ग्रिसिंग का कार्य करना होगा।
11. बीड प्रपत्र में अंकित 22 वाहनों में से वाहन कम करने वाहन बढानें या उसी मेक के अन्य वाहन बदलने का अधिकार आयुक्त नगर निगम उदयपुर के निर्णयानुसार होगा जो बीडर द्वारा मान्य होगा।

वाहन चालक के लिए जॉब चार्ट (परिशिष्ठ–डी) एवं बिडर द्वारा लगाए जाने वाले वाहन चालको के लिए शर्तेः–

1. चालक के पास हेवी लाईसेन्स होना अनिवार्य होगा।
2. वाहन चालक को प्रतिदिन डूयटी पर उपस्थ्ति होते ही केन्द्र पर उपलब्ध समस्त अग्निशमन वाहनो को स्टार्ट कर चैक करना होगा जिसकी रिपोर्ट केन्द्र पर उपस्थित प्रभारी/अधिकारी को प्रतिदिन देनी होगी।
3. प्रति पारी में वाहन चालक को वाहन में हवा, ऑयल, पानी, डीजल, कूलैण्ट, एयर प्रेशर, टायर, बैट्री आदी को चेक करना होगा।
4. वाहन चालक को निर्धारित पूर्ण वर्दी मे डूयटी पर तैनात रहना अनिवार्य होगा वाहन चालक की वर्दी संवेदक स्वयं के खर्चे से उपलब्ध करायेगा ।
5. वाहन चालक को वाहन में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर तत्काल अग्निशमन अधिकारी और मेकेनिक व फिटर को सूचित करना होगा।
6. वाहन चालक को वाहन से संबधित आवश्यक रिपेयरिग की जानकारी होना आवश्यक है ताकि वाहन में होने वाली साधारण खराबी भी वह रिपेयरिग कर सके।
7. वाहन चालक के डूयटी पर आने–जाने व डूयटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की हेागी।
8. वाहन चालक का कार्य कुशल न होना, अनुशासन मे नही रहने, लापरवाही बरतने पर निगम के आदेशो व निर्देशो की पालना में सवेदक को ऐसे वाहन चालक को हटाकर अन्य वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा सवेदंक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
9. संवेदक के स्टॉफ द्वारा वाहन का असावधानी एवं लापरवाही पूवर्क संचालन करने पर वाहन में होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति संवेदक को करनी होगी।
10. वाहन चालक को फायर कॉल पर से आने पर वाहन को पूर्ण चैक करना होगा एवं किसी भी तरह की खराबी होने पर मरम्मत हेतु नियमानुसार रिपोर्ट करनी होगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सवेदंक की होगी।
11. वाहन चालक को प्रतिदिन पूरे वाहन की धुलाई, ग्लास को साफ व कैबिन को साफ करना होगा।
12. वाहन चालक को समय समय पर ऑयल, ग्रीस, रेडियेटर में पानी, पीटीओ व पम्प को चैक करना होगा एंव वाहन पिंचर होने पर टायर खोलना व फीट करना होगा।
13. वाहन चालक डूयटी पर तैनात के दौरान किसी भी प्रकार व्यसन लेना ,नशा करना ,ताश खेलना, किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नही करेगा।
14. अग्नि दुर्घटना/वी वी आई पी विजिट या अन्य सुरक्षा व्यवस्था में वाहन के साथ चालक को शहरी सीमा से बाहर भी जाना पड़ सकता है जिसके लिए टीए व डीए का व्यय निगम द्वारा अलग से देय नही होगा।

20. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

21. नियमन एवं उन्मुलन कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

22. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

23. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा।

24. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिको हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

25. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार नियोक्ता अंशदान सहित ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा तथा निगम के चाहे जाने पर जमा राशि के चालान तथा मजदूरी भुगतान के बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत करने होंगे।

26. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशो की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

27. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

28. नियोजित श्रमिको को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

29. संवेदक को सभी प्रकार के कर, ई.एस.आई.सी. व ई.पी.एफ. सहित राशिया सम्मिलित करते हुए दरे देनी होगी निगम द्वारा बिड में दी गई दरो के अलवा कोई भुगतान नही किया जाएगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फायर सेवाए नगर निगम की मूलभूत सेवा होने के कारण इस कार्य पर जी.एस.टी. देय नही है अतः बिडर जी.एस.टी. का भार अपनी दरो में न जोडे। यदि भविष्य में यह कार्य जी.एस.टी. के दायरे में आ जाता है तो जी.एस.टी. का भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा।

30. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

31. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार (विवर्जित) कराने की कार्यवाही करेगी।

32. वाहन चालक को निगम द्वारा निर्धारित वर्दी में रहना एवं बेच लगाना अनिवार्य होगा। वाहन चालक को वर्दी बीडर स्वंय के खर्चे से उपलब्ध करायेगा। अन्यथा प्रतिदिन रू. 50/– प्रति कर्मचारी पेनल्टी देनी होगी।

33. वाहन चालक को वाहन में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर तत्काल मुख्य अग्निशमन अधिकारी /अधिशाषी अभियन्ता यांत्रिक गैराज शाखा को सूचित करना होगा।

31. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार (विवर्जित) कराने की कार्यवाही करेगी।
32. वाहन चालक को निगम द्वारा निर्धारित वर्दी में रहना एवं बेच लगाना अनिवार्य होगा। वाहन चालक को वर्दी बीडर स्वंय के खर्चे से उपलब्ध करायेगा। अन्यथा प्रतिदिन रू. 50/– प्रति कर्मचारी पेनल्टी देनी होगी।
33. वाहन चालक को वाहन में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर तत्काल मुख्य अग्निशमन अधिकारी /अधिशाषी अभियन्ता यांत्रिक गैराज शाखा को सूचित करना होगा।
34. वाहन चालक को वाहन से संबंधित आवश्यक रिपेयरिंग की जानकारी होना आवश्यक है। ताकि वाहन में होने वाली साधारण खराबी भी वह रिपेयरिंग कर सकें।
35. सभी वाहनों का बीमा नगर निगम उदयपुर अपने स्तर पर करायेगी। जिसमें तृतीय पक्ष एवं उसकी सम्पति को (एम वी एक्ट के अनुसार) सम्मिलित क्षति की क्षतिपूर्ति तथा प्रत्येक वाहन पर कार्यरत कामगार का बीमा सम्मिलित होगा, परन्तु यदि किसी न्यायालय, अधिकरण या क्षतिपूर्ति आयुक्त द्वारा पारित अवार्ड की पालना में यदि किसी राशि के भुगतान का दायित्व नगर निगम पर आता है, तो अदायगी की जिम्मेदारी बीडर की होगी।
36. बीडर के स्टॉफ द्वारा वाहन का असावधानी एवं लापरवाहीपूर्वक संचालन करने पर वाहन को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति बीडर को करनी होगी।
37. वाहन चालक के ड्यूटी पर आने–जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी बीडर की होगी।
38. सभी अग्निशमन वाहनो की लॉग बुक का संधारण संवेदक के वाहन चालको द्वारा किया जाना होगा। प्रतिमाह लॉगबुक भरकर अग्निशमन/मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रमाणित करा लॉगबुक की फोटो प्रति मासिक बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
39. वाहन चालक को वाहन के साथ वी.आई.पी. सिक्युरिटी/वीजिट आदि में जाने पर 8 घण्टे से अधिक समय तक भी रूकना पड सकता है जिसका भुगतान नगर निगम अतिरिक्त नहीं करेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम उदयपुर

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

अग्निशमन केंद्र, रोड़ नं.–1, अशोक नगर, शास्त्री सर्कल के पास उदयपुर (राज.)

Telephone no. - 0294- 2414111 Email id- commudr@gmail.com, firestationudaipur@gmail.com

ई निविदा सं.– अग्नि / 01 / 2023–24 दिनांक 02/05/2023 के अन्तर्गत

निविदा की शर्ते :–

1. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :– 60 (साठ) दिन बोली लगाने वाले से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति FORFEIT नहीं की जा सकती। (नियम 48)
2. विलम्ब से प्राप्त बोलियॉ :– बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
3. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत होगी जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 (3) के अध्यधीन जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभुति राशि (BG/Form RPWA 87 / Cash / FDR) के रूप जमा करायी जावेगी। जो कार्य समाप्ति पर बिना ब्याज के पुनः लौटा दी जायेगी।
5. बोली प्रतिभूति :– प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2% होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। बोली प्रतिभूति बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल्य या बढ़ायी गई विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।
6. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त (Forfeit) कर दी जाएगी, अर्थात् :–
   - (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
   - (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय / संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
   - (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय / संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।
   - (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय / संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

7. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

8. **उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–**

(1) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के आवसान पर।

(2) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर।

(3) उपापन प्रक्रिया के रद्‌दकरण पर, या

(4) बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय – सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

9. <u>करार का निष्पादन :–</u>

(1) कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संदिदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कारवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्य कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

10. <u>परिमाण में परिवर्तन का अधिकार</u> :–

(1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रुप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी :–

- **संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और**
- **<u>मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।</u>**

11. <u>**बोली दस्तावजों में परिवर्तन**</u> :– बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय–सीमा से पूर्व भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरुप धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपांतरित कर सकेगी।

12. **बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :–**

1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। यह कालावधि सामान्यतया 60 दिन होगी। उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रुप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।

2) बोलियों की विधिमान्यतया की कालावधि के अवासन के पूर्व उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृति बोली प्रत्याहरण के रुप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहृत की जायेगी।

3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार से सहमत होते है उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करेंगें या विस्तार करायेगें या उनकी बोली की विधिमान्यतया की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां प्रस्तुत करेंगें। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

13. **जुर्माना :–** संवेदक करार निष्पादन के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने के पश्चात् अगर कार्य नहीं करता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी तथा नगर निगम से 3 वर्षो के लिए फर्म को ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा।

14. निविदादाता को बीड डॉक्युमेन्ट ऑनलाईन डाउनलॉड कर ऑनलाईन ही अपलोड करने होंगे।

15. निविदा शुल्क एवं निविदा प्रोसेस शुल्क का रिफण्ड क्लेम नहीं किया जायेगा।

16. यह कि नगर निगम बोर्ड उदयपुर की पूर्व अनुमति से केवल प्रशासनिक शर्तों में परिवर्तन किया जा सकेगा जिससे नगर निगम को कोई वित्तीय प्रभार वहन नहीं करना पडे।

17. सशर्त निविदा मान्य नही होंगी।

18. समस्त राजकीय कर टीडीएस काटे जाकर संबंधित विभाग में नियमानुसार जमा कराये जायेगें, अन्य समस्त करों एवं कानूनी दायित्वों की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

19. जिन विषयों के संबंध मे बोली दस्तावेजो मे कुछ नही कहा गया है, उस हेतु RTPP ACT 2012 व RTPP RULES 2013 के प्रावधान लाघु होंगे।

20. निविदाकर्ता द्वारा निविदा की समय सीमा की अवधि में या परस्पर समन्वय से बढ़ाया गया समय या रेट में मोडिफिकेशन निविदा का दिशा निर्देशो जो कि विभाग में स्वीकृत नहीं है या दिये गये कार्य को समय में सम्पादित में असफल या विभाग के अनुबन्ध को कियान्वित करने में असफल रहने पर निविदा की धरोहर राशि किसी भी फोर्म में दी गई हो जब्त कर ली जावेगी। अगर कोई संवेदक जिसने की निविदा में दिये गये अनुबन्ध का कियान्वयन या कार्य का प्रारम्भ या कार्य को पूर्ण नहीं किया और उस कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई में पुनः भागीदार नहीं बन सकेगा, एवं रिस्क एण्ड कोस्ट पर कार्य सम्पादन कराया जाएगा।

21. **समयावधि में वृद्धि :–** किसी कारणवश नवीन निविदा समय पर नही हो पाती है तो नवीन निविदा के अंतर्गत कार्यादेश जारी होने कि अवधि तक निविदा अवधि मे वृद्धि कि जा सकेगी। इस हेतु आयुक्त/महापौर संक्षम होगें।

22. कार्य सम्पादन प्रतिभुति की वापसी– निविदा अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त निविदा अवधि में कार्य सम्पादन संतोषप्रद हो जाना प्रमाणित होने के आधार पर कार्यसम्पादन प्रतिभुति सफल बिडर के आवेदन करने पर शीघ्र लौटा दी जाएगी।

23. **Force Majeure :-** The defect arises due to earthquake, cyclone, and natural calamities shall not be the Responsibility of Nagar Nigam.

24. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त नि: शुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

25. शास्तियाँ:– निम्नानुसार शास्ती के प्रावधान रहेंगे।

क्र.सं.	घटना	शास्ती राशि
1.	वाहन चालक का वर्दी में न होना	100/– प्रति कार्मिक प्रतिदिन
2.	वाहन चालक का समय पर उपस्थित नही होना	100/– प्रति कार्मिक प्रतिदिन
3.	वाहन चालक/हेल्पर द्वारा ड्यूटी समय में नशे में होना	उस दिवस की मजदूरी नही दी जाएगी तथा 100/– प्रति कार्मिक दर से शास्ती आरोपित की जाएगी।
4.	बिडर द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक की लापरवाही से दुर्घटना होना	वाहन को मरम्मत कराकर पूर्व स्थिति में लाने का समस्त व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जाएगा तथा मरम्मत अवधि में लगे दिनो के लिए 300/– रू. प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से शास्ती आरोपित की जाएगी। इसी प्रकार तृतीय पक्ष के वाहन बिडर को हुई जन/धन की हानि की जिम्मेदारी भी बिडर की होगी।
5.	संधारण कार्य समय पर/संतोषप्रद नही करने पर	वाहन के संधारण के लिए आवश्यक समयावधि का निर्धारण प्रभारी अभियन्ता गैराज द्वारा किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक संधारण नही करने पर 300/– प्रतिदिन प्रतिवाहन की दर से शास्ती आरोपित की जाएगी।

महत्वपूर्ण निर्देश:–

1. इन शास्ती प्रावधानो को संतोषप्रद/गुणवत्तापूर्ण कार्य हेतु सम्मिलित किया गया है अतः संवेदक से अपेक्षित रहेगा कि वो शून्य शास्तीयो पर कार्य करे। यदि किसी माह में उक्त 6 में से किन्ही भी 3 कार्यो हेतु शास्ती आरोपित हो जाती है तो एक माह का नोटिस देकर कार्य सुधारने का अवसर दिया जाएगा फिर भी नोटिस अवधि में तीन शास्तीयो की पुनरावृति होती है तो एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी। जिसका अन्तिम निर्णय महापौर, आयुक्त, अग्निशमन एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के विवेकाधीन होगा तथा इस समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
2. कुल वाहनो की संख्या 22 है तथा अग्निशमन कार्य आपातकालीन है। अतः संवेदकको सुनिश्चित करना होगा कि 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन अर्थात् 24X7 आधार पर संबंधितअग्निशमन केंद्र पर उपलब्ध अग्निशमन वाहनों की संख्या जितने वाहन चालक सदैव उपस्थित रहे।

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम उदयपुर